(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में प्रकाशनार्थ)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/63/2005-सीओपीटी

कोच्चि पत्तन न्यास **आवेदक**

जी. संख्या 80 **नई दिल्ली** **10 अप्रैल 2007**

शुद्धिपत्र

(मार्च 2007 के 28 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण में कोच्चि पत्तन न्यास (सीओपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन से सम्बन्धित प्रकरण सं. टीएएमपी/63/2005-सीओपीटी में दिनांक 25 जनवरी, 2007 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश और (संशोधित) दरमान, राजपत्र सं. 38 के द्वारा, दिनांक 9 फरवरी, 2007 को भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2. यह ध्यान में आया है कि दिनांक 9 फरवरी, 2007 को अधिसूचित समेकित दरमान में कुछ मुद्रण त्रुटियां हो गई हैं। दरमान में लगाए जाने वाली शुद्धियां नीचे दी गई हैं :

(i) अध्याय-II पोत संबंधी प्रभार में स्थानांतरण प्रभारों की अनुसूची 2.2.3 के अंतर्गत टिप्पणी 4 (क) (viii) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

क्यू 2 अथवा क्यू 3 में कार्यरत पोतों को वर्गीकृत रक्षा कार्गो पोत को स्थान देने के लिए जब स्थानांतरित किया जाता है और ऐसे स्थानांतरित पोत को पुनः वही स्थिति में लाने के लिए स्थानांतरित किया जाता है तो इन्हें "पत्तन की सुविधा के लिए स्थानांतरण" माना जाएगा।

(ii) अध्याय-II पोत संबंधी प्रभार में बर्थ किराया प्रभारों की अनुसूची 2.3.1 के अंतर्गत कालम 11, क्रम सं. 5 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

क्रम सं.	पोत आकार (जी आर टी)	दर प्रति जी आर टी प्रति घंटा अथवा उसका भाग स्ट्रीम पूरिंग तटीय पोत (रुपयों में)
(5)	30001 से 60000 न्यूनतम प्रभार	0.055 2023.05

(iii) अध्याय-III कार्गो संबंधी प्रभार के अंतर्गत बल्क और ब्रेक, बल्क कार्गो के लिए पोत घाटशुल्क की अनुसूची 3.1 में क्रम सं. 11 में वस्तु का विवरण (i) से (v) तक द्रव कार्गो, अम्लो के लिए पोत घाटशुल्क लेवी की इकाई को निम्नांकित रूप से पढ़ा जाए: (केवल अंग्रेजी पाठ में)

क्रम सं.	**वस्तु का विवरण**	**इकाई**
11.	द्रव कार्गो, अम्ल	मी. ट.
(i)	कच्चा तेल	मी. ट.
(ii)	पीओएल उत्पाद	मी. ट.
(iii)	द्रव अमोनिया	मी. ट.
(iv)	फॉस्फोरिक अम्ल	मी. ट.
(v)	सीरा, खाद्य तेल और अन्य द्रव	मी. ट.

(iv) अध्याय-III कार्गो संबंधी प्रभार के विलंबशुल्क प्रभार की अनुसूची 3.3 के अंतर्गत निःशुल्क अवधि 3.3.1 में निम्नलिखित रूप से एक टिप्पणी सं. (4) डाली जाय :-

(4) अगर प्रचालन क्षेत्र उपभोक्ताओं को किराये पर पट्टे पर ये दिया गया है तो वहाँ भण्डारित कार्गो पर विलंबशुल्क/कंटेनरों पर भण्डारण प्रभार पुनः नहीं लगाया जाये।

(v) अध्याय-IV कंटेनर संबंधी प्रभार की अनुसूची 4.2 के अंतर्गत टिप्पणी 1 (i) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :-

"आयात कंटेनरों के लिए निःशुल्क अवधि पोत से कंटेनर उतरने की तारीख के अगले दिन से शुरू होगी।"

(अ. ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष